

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशन के लिए)

संख्या I/20017/01/2009-रा.भा.(नीति-1)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक:13 नवम्बर, 2009

संकल्प

संख्या: I/20017/01/2009-रा.भा.(नीति-1)- भारत सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी समिति के पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

1.	प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	गृह मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	गृह मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी राज्य मंत्री	सदस्य
4.	मानव संसाधन विकास मंत्री	सदस्य
5.	सूचना और प्रसारण मंत्री	सदस्य
6.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य
7.	रेल मंत्री	सदस्य
8.	विदेश मंत्री	सदस्य
9.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री	सदस्य
10.	मुख्य मंत्री, बिहार	सदस्य
11.	मुख्य मंत्री, राजस्थान	सदस्य
12.	मुख्य मंत्री, केरल	सदस्य
13.	मुख्य मंत्री, पंजाब	सदस्य
14.	मुख्य मंत्री, असम	सदस्य
15.	मुख्य मंत्री, ओडिशा	सदस्य
16.	उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
17.	संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के संयोजक	सदस्य
18.	संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
19.	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
20.	प्रो.ए.अरविदाक्षन	सदस्य
21.	श्री चंद्रकांत बांदिवडेकर	सदस्य
22.	डॉ. एन.ई.विश्वनाथ अय्यर	सदस्य
23.	डा. टी.जी.प्रभाशंकर 'प्रेमी'	सदस्य
24.	श्री ओमकार सिंह	सदस्य
25.	श्री दीपक कुमार पाठक	सदस्य
26.	श्री सुरेन्द्र शर्मा	सदस्य
27.	डॉ.बालशौरि रेड्डी	सदस्य

28.	डॉ. नज़ीर मुहम्मद	सदस्य
29.	डॉ.केदारनाथ सिंह	सदस्य
30.	श्री हिमांशु जोशी	सदस्य
31.	डॉ.विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
32.	श्री नंद किशोर आचार्य	सदस्य
33.	डॉ.दामोदर खडसे	सदस्य
34.	डॉ.महीप सिंह	सदस्य
35.	डॉ. गंगाप्रसाद विमल	सदस्य
36.	डॉ. परमानंद पांचाल	सदस्य
37.	डॉ. रत्नाकर पांडेय	सदस्य
38.	श्री गोपाल चतुर्वेदी	सदस्य
39.	डॉ.(श्रीमती) रमा सिंह	सदस्य
40.	श्री मधुकर उपाध्याय	सदस्य
41.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य-सचिव

2. यह समिति हिन्दी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी ।

3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उपसमितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के प्रयोजन से इस समिति को उच्च-स्तरीय समिति माना जाएगा ।

5. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

(बी.एस.परशीरा)

सचिव, भारत सरकार

संख्या I/20017/01/2009-रा.भा. (नीति-1),

दिनांक: 13 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय हिंदी समिति के सभी सदस्य ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली । उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के प्रधान निजी सचिव
16. 100 अतिरिक्त प्रतियां राजभाषा (नीति-1) डेस्क के लिए ।

(एस.एस.पनेसर)

उप सचिव, भारत सरकार